नि०/3162/II/15

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मंडल म०प्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

RS. 20/-

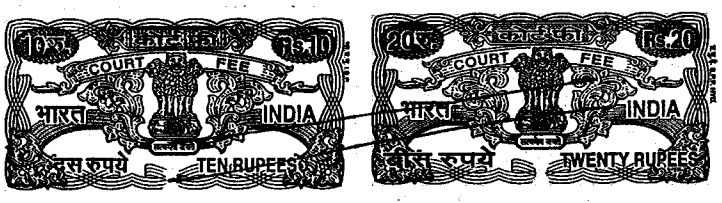

362
28.8.15

हरि प्रसाद पिता रामनाथ साहू साकिन गहिलगढ पश्चिम तहसील व जिला-सिंगरौली म०प्र० ===== निगरानीकर्ता

बनाम

जवाहरलाल पिता मोतीलाल शाह साकिन गहिलगढ पश्चिम तहसील व जिला-सिंगरौली म०प्र० ==== गैरनिगरानीकर्ता

श्री अरुण कुमार साहू द्वारा आज दिनांक 28.8.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल बैढन तहसील व जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 66अ-12/14-15 आदेश दिनांक 22-7-15

= = = = ==============================

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959 ई०.

====================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

(1) यह कि राजस्व निरीक्षक मंडल बैढन द्वारा की गयी सीमांकन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

(2) यह कि गैरनिगरानीकर्ता ने अपने आराजी नम्बर 735 रकबा 0.40हे० का सीमांकन के लिए आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक मण्डल बैढन को प्रस्तुत किया था। जिस आवेदन पत्र पर सीमांकन की कार्यवाही की गयी जबकि गैर-निगरानीकर्ता आराजी नम्बर 365रकबा 0.128 हे० का भूमिस्वामी है एवं निगरानीकर्ता की आराजी से पश्चिम तरफ गैरनिगरानीकर्ता की भूमि स्थित है जिसका सीमांकन किया गया था। वक्त सीमांकन निगरानीकर्ता मौजूद था एवं जब सीमांकन किया जा रहा था तभी मौखिक रूप से सीमांकन का यह कहते हुए विरोध किया था कि बन्दोबस्ती सीमां-

क्रमश: 2..//पर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R3162/II/15 .... जिला सिंगरौली ....

हरिप्रसाद विरुद्ध जवाहरलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-9-15	आवेदक अभि० श्री अरुण कुमार साहू उप० उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर से सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति बिन्दु उठाया है कि सीमांकन हेतु बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह के सीमांकन का आधार मान कर सीमांकन नहीं किया गया है अनावेदक के पश्चिम तरफ की मेड़ को सीमा चिन्ह मानकर सीमांकन किया गया है जो मान्य योग्य नहीं है। प्रकरण में आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 22-7-15 का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित है कि सीमांकन क्षेत्र पुस्तिका (फील्ड बुक) में बन्दोबस्ती सीमा ख०नं० 440, 437, 436 के तिमेड़े को सीमा चिन्ह मान कर सीमांकन की कार्यवाही संपन्न करने का उल्लेख है, जो उचित नहीं है क्योंकि तिमेड़ा कभी भी सीमा चिन्ह मान्य नहीं किया जा सकता। खेतों की मेड़ों की सीमाएं कम-ज्यादा होती रहती है, सीमांकन स्थाई सीमा चिन्हों जैसे, बन्दोबस्ती मुनारा, कुआं, नहर आदि या ऐसा कोई सीमा चिन्ह जो स्थाई हो जिसमें परिवर्तन की सम्भावना न हो एक ग्राम से दूसरे ग्राम की सीमा के संबंध में लगाये गये मुनारे आदि को सीमा चिन्ह मान कर सीमांकन की कार्यवाही की जाना चाहिए तीन सर्वे नम्बरों के तिमेड़े को सीमा चिन्ह मान कर	

सिंगोली

स्थान तथा दिनांक	हरिप्रसाद कार्यवाही तथा आदेश नवादलाल	पक्षकारों एवं [illegible] आदि के हस्ताक्षर
	किया गया सीमांकन उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में तह० सिंगोली के राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 22.7.15 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विवादित सर्वे नम्बर की सीमांकन हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में विधिवत सूचना पत्र जारी कर स्थाई बन्दोबस्ती सीमा चिन्हों को सीमांकन कार्यवाही में सीमाचिन्ह मान कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में सम्पन्न की जावे। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण उक्त निर्देशों के साथ इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.